न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 49 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 61)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र संता सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. नवदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. परमजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. जगतार सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. बलदेव सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91,48,49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 10.03.2025

उपस्थित:1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण
2.श्री दीपक कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय–– **दिनांक: 30.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 03/02 के मुरब्बा नम्बर 22, 29, 37, 41, 48, 68/3, 68/14, 68/27 की कुल 10.590 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 26/25 के मुरब्बा नम्बर 12, 13, 14, 41, 48, 68/2, 68/31 की कुल 10.918 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 35/35 के मुरब्बा नम्बर 48, 51, 68/32 की कुल 2.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/35 के मुरब्बा नम्बर 41, 48 की कुल 2.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 4, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 68/11 की कुल 11.506 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 9, 10, 27, 46, 68/5, 68/29, 68/36 की कुल 10.186 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 अपनी काश्त सहूलियत के लिए उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारानामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। हालांकि वादीगण ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादीगण का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 03/02 के मुरब्बा नम्बर 22, 29, 37, 41, 48, 68/3, 68/14, 68/27 की कुल 10.590 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 26/25 के मुरब्बा नम्बर 12, 13, 14, 41, 48, 68/2, 68/31 की कुल 10.918 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 35/35 के मुरब्बा नम्बर 48, 51, 68/32 की कुल 2.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 91/35 के मुरब्बा नम्बर 41, 48 की कुल 2.466 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 21/20 के मुरब्बा नम्बर 4, 41, 46, 47, 51, 52, 53, 68/11 की कुल 11.506 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 39/39 के मुरब्बा नम्बर 9, 10, 27, 46, 68/5, 68/29, 68/36 की कुल 10.186 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण का वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार उपस्थित आया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। वादीगण अमर सिंह, जोगेन्द्र सिंह, नवदीप सिंह, परमजीत कौर, जगतार सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, जवाबदावा व दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जावे। लिहाजा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 03/02, खाता संख्या 26/25, खाता संख्या 35/35, खाता संख्या 91/35, खाता संख्या 21/20, खाता संख्या 39/39 में मुरब्बा नम्बर 41, 48, 51, 46 की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण अमर सिंह, जोगेन्द्र सिंह, नवदीप सिंह, परमजीत कौर, जगतार सिंह व प्रतिवादी बलदेव सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 24 एफ, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 03/02, खाता संख्या 26/25, खाता संख्या 35/35, खाता संख्या 91/35, खाता संख्या 21/20, खाता संख्या 39/39 में मुरब्बा नम्बर 41, 48, 51, 46 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव मुताबिक निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अमर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (2.885 हैक्टेयर)	24 एफ	41	1	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.68
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				4	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				5	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.68
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				7 ता 9	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				11	0.065 हैक्टेयर	नहरी	0.54
				12	0.071 हैक्टेयर	नहरी	0.59
				13	0.071 हैक्टेयर	नहरी	0.59
				14	0.071 हैक्टेयर	नहरी	0.59
				15	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.53
				0	0.240 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
	जोगेन्द्र सिंह पुत्र संता सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.833 हैक्टेयर)	24 एफ	41	11	0.162 हैक्टेयर	नहरी	1.34
				12	0.182 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				13	0.182 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				14	0.182 हैक्टेयर	नहरी	1.51
				15	0.163 हैक्टेयर	नहरी	1.35
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				17 ता 19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				22 ता 24	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				25	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
			48	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50
				6	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				7	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.21
				8	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				9	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.22
				10	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.21
				0	0.139 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3	नवदीप सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। परमजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (4.837 हैक्टेयर)	24 एफ	48	6	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				7	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				8	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				9	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.88
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				11 ता 20	2.530 हैक्टेयर	नहरी	21.00
				21	0.239 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				22	0.225 हैक्टेयर	नहरी	1.87
				23	0.239 हैक्टेयर	नहरी	1.98
				24	0.234 हैक्टेयर	नहरी	1.94
				25	0.233 हैक्टेयर	नहरी	1.93
4	जगतार सिंह पुत्र ठाकर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 24 एफ तहसील श्रीकरणपुर। (0.266 हैक्टेयर)	24 एफ	51	2/2	0.140 हैक्टेयर	नहरी	1.16
				3/2	0.061 हैक्टेयर	नहरी	0.51
			46	19	0.065 हैक्टेयर	नहरी	0.54

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर